अमृत वाणी

मेरा एक ही धर्म है और वह है देश की सेवा करना।

–भगत सिंह,

कानून-व्यवस्था दांव पर

उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को जो हुआ उससे यही लगता है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई वस्तु नहीं है। राज्य में जगह जगह से गुण्डागर्दी और दादागिरी की खबरें तो आम है लेकिन सोमवार को भीड़ ने जिस तरह थाने पर हमला बोलते हुए पत्थरबाजी की वह किसी भी स्थान की कानून व्यवस्था के लिए बेहद चिन्ताजनक स्थिति है।

जैसा कि पता चला है कि बुलंदशहर जिले के स्याना गांव में विगत सोमवार को गौहत्या की अफवाह फैलने पर पुलिस और गौरक्षकों के बीच झड़प हो गई और आक्रोशित लोगों ने सीधे थाने पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी और पुलिस की जवाबी कार्यवाही में कोतवाली निरीक्षक समेत दो लोगों की मौत हो गई तथा चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तेजित गौरक्षकों द्वारा पुलिस चौकी में व्यापक तोड़फोड़ और आगजनी करने का भी आरोप है।

उत्तरप्रदेश में गौरक्षकों द्वारा कभी भी उत्तेजित होकर इस तरह कानून हाथ में लेने की घटनाएं आए दिन होती है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है लेकिन फिर भी ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है और इस बार जो हुआ उसने तो सारी सीमाएं लांघ ली है जो राज्य की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगता है। मामले की एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बहरहाल 27 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है जबकि बजरंग दल के जिला संयोजक को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

यह तो निश्चित है कि चूंकि इस बार मामला पुलिस पर हमले और एक पुलिस इन्सपेक्टर के मारे जाने का है इसलिए पुलिस इतनी सक्रियता से कार्यवाही में लगी है। अगर पुलिस की ओर से कथित गौरक्षकों की गुण्डागर्दी तथा हिंसक मनमानी पर शिकंजा करने के प्रति ऐसी ही सक्रियता पूर्व से दर्शायी गई होती तो शायद उनका दुस्साहस इस हद तक नहीं बढ़ पाया होता। अगर इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण का मामला है तो अवश्य ही इसे अत्यंत दुखद समझा जाना चाहिए क्योंकि पानी अगर सर के ऊपर चढ़ चाय तो उसे संभालना आसान नहीं होता।

कहने का तात्पर्य यह कि गौरक्षा करना धर्म भी है और कर्तव्य भी है क्योंकि गौमाता हिन्दुओं की पूज्य जरूर है पर है तो वह भी एक मवेशी जिसकी सुरक्षा आमजन का भी दायित्व होना कोई गलत बात नहीं परंतु गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता।

सबसे गंभीर बात यह है कि यदि यह पता लगाया जाय तो आसानी से यह सत्य उजागर हो सकता है कि ऐसी घटनाओं में गौरक्षकों के आड़ में कितने ही असामाजिक तत्व अपना उद्देश्य साध लेते हैं। साथ ही जो लोग गौरक्षक होने का दावा करते है उन्हे भी अपने अंतःकरण से यह सवाल अवश्य करना चाहिए कि क्या वे वास्तव में गौ की सेवा करते हैं। अगर उतना करें तो गौ की आधी रक्षा तो वैसे ही हो जाएगी। शेष के लिए वे कानून का सहारा ले सकते हैं, कानून हाथ में

भारतीय संविधान के शिल्पी बाबासाहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर

आज 63वें महापरिनिर्वाण दिवस पर विशेष

भारत में समतामूलक समाज के पक्षधर, विश्वस्तर के विख्यात विधिवेत्ता, महान राजनेता, भारतीय संविधान के जनक, दलितों, वंचितों और महिला अधिकारों के समर्थक, मानवतावादी चिंतक, विचारक, दार्शनिक, प्रखर वक्ता, विद्वान और भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को तत्कालीन मध्य प्रांत वर्तमान मध्य प्रदेश के महू जिले में एक दलित परिवार में हुआ था। वे अपने माता-पिता की 14वीं संतान थे। 16 वर्ष की छोटी उम्र में मैट्रिक परीक्षा पास करते ही उनका विवाह रमा बाई नामक किशोरी से कर दिया गया। सैनिक स्कूल में प्रधानाध्यापक, उनके पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में व्याप्त छुआछूत, जात-पांत और संकीर्णता जैसी कुरीतियों को दूर कर सके। डॉ. भीमराव बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और अध्ययन में उनकी अगाध रूचि थी। 1912 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1913 में वे बड़ौदा के महाराजा से छात्रवृत्ति पाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका चले गये। 1913 से 1917 तक अमरीका और इंग्लैंड में रह कर उन्होंने डॉक्टरेट तथा कानून की परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं और भारत लौट आये। महाराजा बड़ौदा ने उन्हें अपना सचिव नियुक्त किया, लेकिन वहां छुआछूत और भेदभाव के अपमान को सहन न कर पाने के कारण पद छोड़कर मुम्बई में अध्यापन कार्य में लग गये। इसके बाद बाबासाहेब ने वकालत शुरू की। उन्होंने अस्पृश्यता के विरूद्ध संघर्ष करने का संकल्प लेते हुए साप्ताहिक पत्रिका मूक नायक का प्रकाशन शुरू किया। इस पत्रिका में दलितों की दशा और कल्याण के बारे में प्रकाशित उनके लेखों का भारतीय दलित वर्ग और शिक्षित समाज पर गहरा असर पड़ा।

बाबासाहेब ने भारत में अस्पृश्य समाज के राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता की पुरजोर वकालत की। दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान उनके भाषण से कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक शाहू चतुर्थ बेहद प्रभावित हुए और उनका अंबेडकर जी के साथ भोजन करना रूढिवादी समाज में हलचल का कारण बन गया। बाबासाहेब ने दलित वर्गों के बीच शिक्षा के प्रसार और उनके सामाजिक उत्थान के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की।

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। वे हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे। सामाजिक अन्याय, अत्याचार और असमानता के उन्मूलन के लिए उन्होंने संविधान के मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का बड़ा तोहफ़ा भारत और उसकी जनता को सौंपा, ताकि सही अर्थों में सामाजिक लोकतंत्र, समरसता और सामाजिक समानता का स्वप्न साकार हो सके। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नागरिकों के प्रति देश के सकारात्मक उत्तरदायित्वों को समाहित किया गया। इनका उद्देश्य उस सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करना है, जिसे संविधान में वर्णित मूल अधिकारों द्वारा संरक्षण प्राप्त है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था दु :ख जिन्हें नीति-निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, वह सामान्यत विधायिका और कार्यपालिका के लिए इन निर्देशों के तंत्र का ही दूसरा नाम है कि उन्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए उन्होंने अपने गहन अध्ययन और उच्चकोटि की तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता के आधार पर सामाजिक बुराइयों के प्रति आलोचनात्मक चिंतन और सटीक मूल्यांकन प्रस्तुत किया, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा मार्गदर्शक तथा प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करता रहेगा। उनका मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के लिए दलितों और कमजोर वर्गों के बीच शिक्षा की समुचित व्यवस्था तथा समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना बहुत आवश्यक है। डॉ॰ अंबेडकर भारतीय महिलाओं की उन्नति के लिए बड़े पैमाने पर प्रगतिशील कदम उठाने के पक्षधर थे। हिन्दू कोड बिल जैसे प्रगतिशील कदम के जरिए वे पुरुष प्रधान संस्कृति पर प्रहार करते हुए सभी महिलाओं को पुरुषों के बराबर कानूनी अधिकार देकर गौरवान्वित करना चाहते थे। इस बिल में हिन्दू महिलाओं को विवाह, तलाक आदि में पुरुषों जैसा ही हक दिया गया था। उन्होंने कहा था कि शर्म किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति से नापता हों।

बाबासाहेब ने हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द पर बल देते हुए कहा था कि सांप्रदायिक मुद्दे कनाडा जैसे देशों में भी हमेशा से रहे हैं, पर आज भी अगर अंग्रेज और फ्रेंसीसी प्रेमभाव से एक साथ रहते हैं, तो हिन्दू और मुसलमान एक साथ सौहार्द के साथ क्यों नहीं रह सकते। गांधीजी और कांग्रेस के कटु आलोचक होने के बावजूद डॉ॰ अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विधिवेत्ता के रूप में थी। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार ने उन्हें देश का प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बनाया। 29 अगस्त, 1947 को डॉ॰ अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नये संविधान की रचना के लिए गठित संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। बाबासाहेब ने भारतीय संविधान को आकार देने के लिए भले ही पश्चिमी मॉडल का आधार लिया है, लेकिन उसकी मूल भावना विशुद्ध रूप से भारतीय है। डॉ॰ अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से नागरिकों को व्यापक स्वतंत्रता की सुरक्षा दी है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत, हर तरह के भेदभाव पर रोक, महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के उपाय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए स्कूलों तथा कॉलेजों में प्रवेश तथा नौकरियों और सिविल सेवाओं में आरक्षण प्रणाली की गारंटी दी गयी, ताकि सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं को जड़ से मिटा कर दलित और वंचित वर्ग को हर क्षेत्र में प्रगति के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। 26 नवम्बर्र 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किए जाने के बाद डॉ. अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा था कि शर्म महसूस करता हूं कि भारतीय संविधान साध्य और लचीला होने के बावजूद इतना मजबूत भी है कि यह देश को शांति और युद्ध दोनों समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाले की नीयत में खोट था॥ इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा था कि श्यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसे मैं ही सबसे पहले जलाऊंगा॥

सन् 1950 के दशक में अंबेडकर जी बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गये । 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा अर्थात बौद्ध सोसायटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। 14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में अंबेडकर जी ने औपचारिक समारोह में एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अपनी अंतिम पांडुलिपि द बुद्ध एंड हिज धम्म को पूरा करने के तीन दिन बाद 06 दिसम्बर, 1956 को नई दिल्ली में नींद के दौरान ही उनका निधन हो गया।

डॉ॰ अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन तथा सुधारों का आधुनिक भारत पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। उन्हें व्यक्ति की स्वतंत्रता में अटूट विश्वास था। वे सामाजिक स्वतंत्रता के भी प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने कहा था कि रज्ञब तक आप व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है, वो आपके लिए बेमानी है।

धर्म की प्रकृति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि श्मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता॰ समानता और भाईचारा सिखाता है। कानून और व्यवस्था के बारे में उनका दृष्टिकोण अत्यन्त संतुलित था, जिसकी मिसाल उनके इस कथन में मिलती है कि श्कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की औषधि है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े, तो दवा जरूर दी जानी चाहिए।

बाबासाहेब ने महापुरूषों और ख्याति प्राप्त बड़ी हस्तियों के बीच सुस्पष्ट लक्ष्मण रेखा खींचते हुए कहा था कि ग्रेट मैन इज डिफ्रेंट फ्रॉम एन एमिनेंट वन इन दैट ही इज आल्वेज रेडी टू बी द सर्वेंट ऑफ॰द सोसायटी द्ध अर्थात एक महापुरूष एक लब्ध-प्रतिष्ठ व्यक्ति से इस मामले में भिन्न होता है कि वह हमेशा तत्पर रहता है समाज का सेवक बनने के लिए।

डॉ. अंबेडकर का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चिंतन समतामूलक दृष्टिकोण पर आधारित था और वस्तुत यही आज के समय की मांग भी है। समाज के वंचित वर्गों के कल्याण और उत्थान से ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता तथा भेदभाव दूर किया जा सकता है। डॉ॰ अंबेडकर का विश्वास था कि आर्थिक और सामाजिक न्याय के बिना, केवल राजनीतिक आजादी से राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत नहीं किया जा सकता। प्रसन्नता की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार डॉ॰ भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वाकांक्षी ग्रामोदय से भारत उदय अभियान संचालित करने जा रही है। इसके माध्यम से अंबेडकर जी के संकल्प को गांव.गांव और जन.जन तक ले जाकर लोगों के बीच सामाजिक समरसता, समानता और पारस्परिक सदभाव

की नई चेतना जाग्रत करने और दलितों के नायक बाबासाहेब के सपनों को साकार करने की दिशा में सार्थक पहल की जा रही है। भारतीय लोकतंत्र को आधार देने में डॉक्टर अम्बेडकर का अद्वितीय योगदान भुलाया नहीं जा सकता। सामाजिक न्याय के लिए प्राण.पण से संघर्ष करने वाले महापुरुष के रूप में उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। वस्तुत अगर डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पी या जनक कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

नरेन्द्र सिंह तोमर
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हर राजा अपने कार्यकाल को स्वर्णिम काल बनाना चाहता हैं और बनाता भी हैं। इससे कोई अछूता नहीं रहा। चाहे गुप्तकाल हो, मौर्यकाल हो, मुगल काल हो, ब्रिटिश काल हो,गाँधी, नेहरू युग हो या मोदी युग हो। सब अपने काल को अजर अमर बनाकर जीवित में या उसके बाद भी अमर रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। गुप्तकाल से लेकर ब्रिटिश राज तक का शासन लम्बे समय तक रहा तो उस दौरान उन राजाओं ने, शासकों ने काम भी किया और यश भी मिला। यदि हम निष्पक्ष चिंतन करे तो हर युग में जितने भी निर्माण हुए चाहे वे अत्याचारी हुए या लोककल्याणकारी हुए उन्होंने जो धरोहरों का निर्माण किया वे आज भी उनके यशोगान गाती है और गा रही हैं। चाहे आप उन्हें पसंद करे या न करे। इसी प्रकार वर्तमान में मोदी सरकार ने चार वर्षों से अधिक समय में इतना विकास कर दिया जितना विगत 70 वर्षों में नहीं हुआ। इसका मतलब पुरानी सरकारों ने जो भी काम किया वह शून्य रहा और सब विकास का काम साढ़े चार वर्षों में हुआ। आज हमारे विद्व मंत्री ने पूछा की महात्मा गाँधी के पिता का नाम क्या हैं ध्सरदार पटेल के पिता का नाम क्या हैं ध्तनकी पत्नी का नाम क्या हैं ध्इनकी कोई भी पीढ़ी का नाम नहीं लिया जाता हैं और गाँधी नेहरू परिवार की चार पीढ़ियों का नाम लिया जाता हैं। बात समझ से परे हैं !यदि पटेल के पिता जी या पत्नी ने देश के लिए कोई काम किया होता तो उनका नाम याद रखा जाता। गाँधी जी के पौत्रों ने कुछ काम किया तो नाम लिया जाता हैं। शास्त्री जी के पुत्रों ने काम किया तो उनका नाम लिया जाता हैं। गुरु गोलवलकर हो या अन्य सर संघ सचालक यदि वे शादी शुदा होते तो उनके वंशज संघ में काम करते। जब नहीं हैं तो क्या करेंगे कोई भी,अटल बिहारी बाजपेयी जी अविवाहित रहे तो उनकी संतान कहाँ से देश के काम आएगी। आज मोदी जी अविवाहित हैं तो उनके बाद उनका नाम लेने वाला या वंश बढ़ाने वाला कौन होगा। जेटली जी के पिताजी की क्या भूमिका रही देश के लिए वो उजागर करे तो उनका नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिया जायेगा। उदाहरण के लिए नेहरू परिवार का इतिहास जितना जैसा मालूम हैं की मोतीलाल नेहरू, विजया लक्ष्मी पंडित, पंडित नेहरू, इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी, राहुल गाँधी वरुण गाँधी मेनका गाँधी आदि अभी भी काम कर रही हैं इसके आगे यदि कोई अयोग्य संतान होगी तो हम या आप क्या कर लेंगे। यह बात बहुत जिम्मेदारी से कही जा सकती हैं की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और राज्यों में सरकार बनने से संघ और उनकी अनुषांगिक संस्थाओं ने केंद्र और राज्य स्तर पर बहुत काम किये, बहुत आयोजन किये, बहुत गोष्ठियां की और अपने अपने संगठनों को खूब बढ़ाया दिया और उसके माध्यम से संस्कृति, साहित्य, का प्रचार किया। और मजे की बात यह रही की इस दौरान जिनसे इनका दूर दूर तक सम्बन्ध नहीं रहा उनको गले लगाया, अंगीकार किया जैसे हमेशा आंबेडकर का विरोध किया उनको प्राथमिकता दी। गाँधी जी के बंटवारे के कारण विरोध किया उनका नाम भुनाना शुरू किया। जिन पटेल ने संघ पर प्रतिबन्ध लगाया उनको गले लगाया। कहीं न कहीं जिनकी मान्यता पुरानी सरकार ने दी उसका विरोध किया और क्या यह अपेक्षा यदि नई सरकार बनती हैं तो वह आपकी मान्यताओं को क्यों नहीं अस्वीकार करेगी। शासक हमेशा निष्पक्ष हो। यह बात जरुरी हैं की वह जिस विचार धारा का होता हैं वह उसकी पुष्टि करता हैं और वह उसका पोषक होता हैं पर इसका मतलब यह नहीं की जिन्होंने आपके पद पर रहकर जो भी काम किये थे उनका अवमूल्यन करो और अपनी उपलब्धियों का श्रेष्ठ बताओ। ये पद बहुत अस्थायी होते हैं। ये दया के पात्र हैं, भिखारी होते हैं, अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमे प्रधान सेवक से लेकर सब पार्टी के लोग याचना करते नजर आ रहे हैं। भिखारी जैसे याचक बने घूम रहे हैं। फिर जीतने के बाद वे शहंशाह हो जाये, पर मौलिक रूप से याचक ही हैं।

क्या राष्ट्र भगवाकरण की ओर जा रहा हैं

डॉ. अरविन्द जैन
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

कैसे बंद हो कर्ज का खाता, परेशान अन्नदाता

देश की राजनीति के चक्रव्यूह में फंसा किसान इन दिनों काफी परेशान है्ए एक तरफवह देश के राजनीतिक दलों की कर्जमाफी की घोषणाओं से परेशान है तो दूसरी ओर नोटबंदी के कारण व वह समय पर बीज खरीद पाया और न खाद्यए इसके ऐसी स्थिति में वह जाए तो कहाँए इसलिए देश के किसानों को दिल्ली आकर प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ाए लेकिन इसके बावजूद हमारे अन्नदाता सरकार की उपेक्षा के शिकार ही रहे। अन्नदाता स्वयं अपने परिवार को अन्न मुहैय्या नहीं करा पा रहे हैए कर्ज माफी की भी उम्मीद में उन्होंने बैंकों को कर्ज की किस्ते देना भी बंद कर दियाए इससे सहकारी बैंकों को आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा हैए अब आखिर वह अपना रोना किसके सामने रोयेए ऐसे में उनके सामने आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा हैए इसीलिए देश में इनकी आत्महत्याओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।

देश में दो साल पहले की गई नोटबंदी का हमारे अन्नदाताओं पर क्या असर हुआ्ए इसकी जांच व सर्वेक्षण रिपोर्ट अब कृषि मंत्रालय की संसदीय समिति ने सरकार को सौंपी हैए जिसमें कहा गया है कि ष्नोटबंदीष् ने देश के 26 करोड़ किसानों की कमर तोड़कर रख दीए ये किसान नोटबंदी के कारण न खाद्य खरीद पाए और न ही बीजा. ये किसान नगदी पर निर्भर रहने वाले किसान हैए नोटबंदी के कारण बाजार में नगदी का अकाल पड़ गया थाए इसके कारण खेती.किसानी का पूरा ढांचा ही ध्वस्त हो गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नोटबंदी के समय ने भी काफी दिक्कतें पैदा कीए खरीफबैचने और रबी बोने के वक्त की गई नोटबंदी किसानों को काफी भारी पड़ी। फिर रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नोटबंदी का सीधा फ़ायदा असर फसलों और सब्जियों की कीमतों पर पड़ाए जिनकी कीमतें अचानक काफी नीचे स्तर पर आ गई।

पिछले एक साल से सत्तारूढ़ तथा प्रतिपक्षी दलों द्वारा जो किसान कर्जमाफी के वादें किए जा रहे हैए उसके कारण कर्जदार किसानों ने कर्ज माफी की आस में बैंकों के कर्ज की किश्तें चुकाना बंद कर दिया जिसके कारण सहकारी बैंकों की नब्बे फीसदी तक वसूली गिर गई। खास करके जिन क्षेत्रों में किसान आंदोलन तेजी पर रहेए उन क्षेत्रों में तो कर्ज वसूली शत.प्रतिशत तक गिर गई। विशेष रूप से जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैए उन राज्यों में तो कर्ज वसूली लगभग शून्य पर पहुंच गई हैए क्योंकि चुनाव प्रचार व अपने घोषणा.पत्रों में राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने और सरकार बनने पर दस दिन में कर्ज माफ़ की घोषणाएं की है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि एक साल पहले कर्ज माफी के राजनीतिक वादों के पहले अकेले मध्यप्रदेश में किसान हर महीनें तीन हजार करोड़ की कर्ज राशि चुकाते आ रहे थेए किंतु कर्ज माफी की राजनीतिक घोषणाओं के बाद छः महीने में ही कर्ज चुकाने का तीन हजार करोड़ रूपए प्रतिमाह का आंकड़ा घटकर 260 करोड़ हो गयाए अब अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो वादे के अनुसार सरकार को शपथ के दस दिन के अंदर अठारह हजार करोड़ रूपयों की किसान कर्ज माफी हेतु व्यवस्था करनी पड़ेगी जबकि स्वयं प्रदेश सरकार पर पहले से ही डेढ़ लाख से भी अधिक करोड़ का कर्ज पहले से ही बाकी है। इस प्रकार मध्यप्रदेश में नई सरकार के सामने वित्तीय प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौति होगी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने कर्ज वसूली बढ़ाने की गरज से ऋण समाधान योजना लागू की थीए इसमें सत्रह लाख डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ होना थाए इन किसानों पर छः हजार करोड़ का कर्ज और करीब ढाई हजार करोड़ का ब्याज चकाया हैए इसके साथ ही पच्चीस हजार करोड़ पुराना कर्ज बाकी हैए इस तरह प्रदेश में यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसे दस दिन में कर्ज माफी का वादा निभाने के लिए कम से कम पचास हजार करोड़ रूपए की जरूरत होगी अर्थात् स्वयं प्रदेश सरकार पचास हजार करोड़ का और कर्ज लेगी और कर्ज राशि बढ़कर दो लाख करोड़ हो जाएगीए तब प्रदेश की आर्थिक स्थिति आज के पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगी और फिर इतनी मशक्कत के बाद भी क्या हमारा अन्नदाता अपनी आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो पाएगा और प्रदेश में किसानों की आत्म हत्याएँ थम पाएगीध

कुल मिलाकर हमारे अन्नदाता को राजनीति के चक्रव्यूह में इस कदर फंसा दिया गया है कि वह उससे बाहर निकल नहीं पा रहा और फिर उसके सामने जान देने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता।

ओमप्रकाश मेहता
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

राज काज

मंदिर-मस्जिद और यूनिवर्सिटी

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने अयोध्या में विवादित जगह पर मंदिर या मस्जिद बनाए जाने के बजाय यूनिवर्सिटी बनाने की वकालत की। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने जहां दिल्ली हज हाउस का विरोध किया वहीं उन्होंने दिल्ली में उसी पैसे से दो यूनिवर्सिटी बनाए जाने की वकालत कर दी। समीक्षकों की मानें तो सभी मंदिर.मस्जिद को अपने.अपने चश्में से देखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी को राजनीतिक रोटियां जो सेंकनी है। बहरहाल ज्ञान और आस्था के इन केंद्रों पर जिस तरह से राजनीति की जा रही है वह वाकई नाकाबिलेबर्दाश्त होती जा रही है, क्योंकि देश में बेरोजगारी का ग्राफबढ़ता चला जा रहा है, पढ़ाई का स्तर पर गिर रहा है, लेकिन यहां हमारे कर्ता.धर्ता कहे जाने वाले जिम्मेदार नेता मंदिर और मस्जिद के सवाल पर एक.दूसरे की जुबान खींच लेने को आतुर दिख रहे हैं। जानकारों की मानें तो आस्था के साथ ज्ञान का भी स्तर ऊंचा होना चाहिए, जिसमें दिल्ली आगे नजर आती है, क्योंकि शिक्षा का स्तर यहां सुधर रहा है।

कैप्टन अमरिंदर की सलाह

पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद भी बचाव किया है और पार्टी के तमाम नेताओं और मंत्रियों को सलाह दी है कि वो सिद्धू के खिलाफकिसी भी तरह की नकारात्मक टिप्पणी न करें। सूत्रों की मानें तो पंजाब कैबिनेट की बैठक के दौरान दो मंत्रियों ने सिद्धू का मामला उठाया था और वो वहां मौजूद नहीं थे। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर ने विवादों को जन्म देने वालों को नेक सलाह दे दी, लेकिन सवाल यही है कि अब उनकी सलाह आखिर कौन मानने वाला है, क्योंकि यह मामला तो काफी आगे बढ़ चुका है और मीडिया के समक्ष आकर नेता बयान दे रहे हैं। दरअसल बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने पत्रकारों के समक्ष कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में सिद्धू के मामले को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में तो सरकार से जुड़े मामलों पर ही चर्चा की गई। जमीनी कार्यकर्ता तो यही कह रहा है कि काश ऐसा ही बयान तमाम लोग देने लग जाएं तो कम से कम कांग्रेस की जो फ्लीहत हो रही है वह भी रुक सकती है।